

## उत्तराखण्ड के दो मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड

### चर्चा में क्यों?

8 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड में कांवड़ मेला शुरू होने से पहले राज्य के पंचायती अखाड़ा महानरिवाणी की ओर से हरदिवार और ऋषिकेश ज़िलों के दो मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।

### प्रमुख बिंदु

- जनि मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है, वे हरदिवार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर हैं। इनमें श्रद्धालुओं के लिये हाफ पैट, फटी जींस, मर्नि स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर आने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं मलिया। मर्यादति कपड़े पहनकर आने वालों को ही मंदिर में प्रवेश कर दर्शन करने की अनुमति होगी।
- वदिति है कि अखलि भारतीय अखाड़ा परषिद के अध्यक्ष एवं पंचायती अखाड़ा महानरिवाणी के सचवि श्रीमहंत रवदिरपुरी महाराज ने कुछ दनि पहले इन दोनों मंदिरों में अमर्यादति कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतर्बिध लगाने की घोषणा की थी।
- पंचायती अखाड़ा महानरिवाणी के सचवि ने बताया कि मंदिरों में मर्यादा को बनाए रखने के लिये कपड़ों की मर्यादा जरूरी है। दोनों मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू करते हुए बैनर लगा दिये गए हैं। महिला हो या पुरुष अब अमर्यादति कपड़ों में इन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के शरीर 80 फीसदी तक ढके होने चाहिये।
- उन्होंने कहा कि शालीनतापूर्वक व संस्कृतिको बढ़ावा देने के लिये मंदिरों में साइन बोर्ड लगाए गए हैं।
- देश के अधिकांश मंदिर चाहे वह संतों के हों या फरि अन्य कमेटी, सरकार के टरस्ट के अधीन हों, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है।
- ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के कई मंदिरों में ड्रेस कोड पहले से लागू है। उत्तराखण्ड तीर्थ स्थानों का प्रदेश है और यहाँ भी इसे लागू करने की ज़रूरत थी।

